RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-05
Issue-02
February -2020

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[Peer Reviewed Journal]

वर्तमान शिक्षा–नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन

मो0 फिरोज आलम

शोधार्थी, राजनीतिक विज्ञान विभाग, बी0 आर0 ए0 बी0 यू0 (मुजफ्फरपुर)

आधुनिक शिक्षा–व्यवस्था को गहराई सें देखे, उसका चिन्तन–मनन् करें, तो लगता यही है कि शिक्षण संस्था–चाहे सरकारी हो या निजी–इनकी लगातार संख्या बढ़ती जा रहो है। नामांकित छात्र–छात्राओं की संख्या भी दिन प्रति दिन बढ़ती ही जा रही है। शिक्षा से जुड़े स्टेशनरियों का भी विस्तार हो रहा है। इस दिशा में जुड़ा उधम काफी फल–फुल रहा है, किन्तु इन सबसे जो छनकर व्यवस्था में गुणता आनी चाहिए, वो संतोषजनक नही रही है। कई वैश्विक रिपोर्ट ने भी यह स्पष्ट किया है कि भारतीय–शिक्षण संस्थाएं 200 की रैकिंग में नहीं आती है।

प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन ड्यूवी ने भी अच्छी शिक्षा के तीन स्तंभ बतायें थें–शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम। इन तीनों के बीच अच्छा सामंजस्य ही एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था स्थापित कर सकती है। दुसरी ओर स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक भारत की शिक्षा व्यवस्था समयानुकूल, रोजगारोंन्मुखी व समाजोपयोगी नहीं बन सकी है। क्योंकि, कुछ अपवादों को छोड़कर देश में अब तक वास्तविक रूप में पदानुकुल, चरित्रवान, लक्ष्योन्मुखी, कर्मठ एवं ईमानदार शिक्षा अधिकारी और शिक्षक, प्राध्यापक नियुक्त नहीं हुयें हैं। फलस्वरूप जिस प्रकार शिक्षा का प्रसार हुआ है वैसी गुणवत्ता नहीं विकसित हो पायी है। गुणवत्ता में आई इस गिरावट नें हमारे विद्यार्थियां कों न तो अच्छे संस्कार, रोजगार, आदर्श जीवन–शैली, प्रदान की है और न हीं जीवन के उच्च–लक्ष्य एवं उज्जवल भविष्य को रेखांकित किया है। इस बलवती शैक्षिक समस्या रूपी गुणात्मक ह्रास आने के कारण हमारी भावी पीढी के भविष्य पर कई प्रश्नचिन्ह लगने शुरू हो गये है। शैक्षणिक संस्थानों में चारो ओर बढ़ती अनुशासनहीनता, अराजकता, रैगिंग, भ्रष्टाचार शिक्षा का राजनीतिकरण, दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन व्यवस्था, लाखों की संख्या में रिक्त पड़े शिक्षकों–प्राध्यापकों एवं गैर–शैक्षिक पदों और इससे उत्पन्न गंभीर समस्याओं ने शैक्षिक वातावरण को अत्याधिक चिन्ताजनक बना दिया हैं।

गुणात्मक ह्रास के कारण एवं उसके दुष्परिणाम्

हमारी शिक्षा–व्यवस्था में कई बार शिक्षानीति बनाई गई, किन्तु जो गुणात्मक परिवर्तन आना चाहिए था। वह अपेक्षित नहीं रहा इस गुणात्मक ह्रास के कई कारण रहें और उसके दुष्परिणामों की समीक्षा निम्नलिखित बिन्दुओं अर्थात् तर्कों के आधार पर की जा सकती है–

सर्वप्रथम – हमारी गुणवताहीन वर्तमान शिक्षा पद्धति से प्रतिवर्ष लाखों इंटरमीडिएट व स्नातक उपाधि–धारक तो तैयार हो रहे है, लेकिन इनके लिये रोजगार के अवसर भी दिनों–दिन कम होते जा रहं है। जिसकी वजह से बेरोजगारी, अपराध, छेड़छाड़, लुटपाट और गुंडागर्दी लगातार बढ़ रही है और राष्ट्र–निर्माण की प्रक्रिया अवरूद्ध होने से विधटनकारी तत्वों का लगातार वृद्धि हो रहा है।

द्वितीय – परीक्षा पास करने के लिए पढ़ना जरूरी होता है, लेकिन हमारे देश में अब सामान्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए पढ़ाई–लिखाई इतनी जरूरी नहीं रही, जितनी कि अध्यापकों की चमचागिरी या किसी तरह उत्तर–पुस्तिका भरने की रहती है। बाकी काम हमारे मूल्यांकनकर्ता सरसरी मुल्यांकन द्वारा कर देते हैं। ऐसे तथाकथित उच्च शिक्षित डिग्रीधारो युवा उच्च–शिक्षा की गुणवत्ता व उपयोगिता पर प्रश्नचिह्न लगा रहें है।

अधिकतर विश्वविद्यालयों में प्रश्न–पत्रों का प्रारूप, अंक विभाजन, उत्तर लिखने की शब्द–सीमा आदि निश्चित, न्यायसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं है। इसके दुष्परिणामस्वरूप ही पढ़ाई में गम्भीर छात्रों का वास्तविक मूल्यांकन नहीं हो पाता है। यहाँ परीक्षा ज्ञान–योग्यता की न होकर मात्र लगातार 3 घंटे लेखनकार्य करने की हाती है। इस कुव्यवस्था से मेरिट में आने वाले छात्र अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल हो जाते है। यह विसंगति प्रतिभाशाली छात्रों के मन–मस्तिष्क पर कुठाराघात करती है. इसलिये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–49) और कोठारी आयोग (1964–66) ने भी परीक्षा सुधारों को जरूरी मानते हुए कहा था कि ''यदि हमें विश्वविद्यालयीन शिक्षा में किसी एक ही सुधार का सुझाव देने को कहा जाए,

RRIJM 2015, All Rights Reserved

तो वह परीक्षा–प्रणाली के सुधार के सम्बन्ध में ही होगा''.

तृतीय – यह सर्वमान्य व सर्वविदित है कि देश में पाथमिक से लेकर उच्च–शिक्षा की सम्भवतः सबसे विकराल समस्या 'छात्रों में बढ़ती अनुशासनहीनता' की है। जैसा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. एन. के. सिद्धान्त ने एक शोध अध्ययन के आधार पर छात्रों के निम्नलिखित प्रकार के अनुशासनहोन कार्यो का उल्लेख किया है–शिक्षकों के प्रति असभ्यतापूर्ण व्यवहार, सहपाठियों के साथ हिंसा का प्रयोग, छात्राओं व युवतियों से अश्लील व्यवहार, परीक्षा के दौरान नकल या बातचीत करना, उतीर्ण होने हेतु धन व सिफारिश का प्रयोग करना आदि। इस प्रकार की अनुशासनहीनताएं प्रायः सभी शहरों में दृष्टिगोचर होती रहती हैं। इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि हमारी भावी पीढ़ी किस सीमा तक इन घातक विकारों से ग्रस्त है ?

चतुर्थ – वस्तुतः हमारी वर्तमान शिक्षा रोजगार के सृजन और राष्ट्र के निर्माण में सहायक नहीं बन सकी है जिससे देश कों कई सामाजिक, आर्थिक व रानीतिक समस्याओं का समाना करना पड़ रहा है। इससे चिंतित होकर ही प्रो.

श्रीनाथ मुखर्जी ने लिखा था – ''हमारे विश्वविद्यालायों की एक बड़ी समस्या है–समयानुकूल कोर्स लागू न करना जिससे छात्र मनचाहा शिक्षण–प्रशिक्षण एवं रोजगार प्राप्त कर एक समाजोपयोगी नागरिक बन सके।''

पंचम – शिक्षा के विकास के मार्ग में अन्य बड़ी बाधा है–शिक्षा के उद्देश्यों के अनुकूल शिक्षकों की धोर कमी होना। अभी भी प्राथमिक से उच्च शिक्षा संस्थाओं में लाखां शिक्षकों व प्राध्यापकों के पद रिक्त पड़े हैं। हमारे दश में ज्ञान, कर्तव्यपरायणता, ईमानदारी एवं प्रतिबद्धता के कारण ही शिक्षकों का बड़ा मान–सम्मान था जिसे वे पिछले कई दशकों से खोते जा रहे है। शिक्षकों की प्रतिष्ठा की बहाली के बिना भावी पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल नहीं बनाया जा सकता।

अततः – हमारी शिक्षा प्रणाली को आजादी मिलने के मात्र सात दशकों में ही दर्जन भर शिक्षा आयेागों एवं समितियों का बोझ ढोना पड़ा है। इनको सिफारिशों के तहत् अव्यावहारिक नीतियों एवं अस्थायी परीक्षा पद्धति के लागू करने से शैक्षिक वातावरण बद से बदतर अर्थात् निरर्थक बनता गया है। इससे युवाओं में बेरोजगारी, अनैतिकता, नशाखोरी, कामचोरी, छेड़छाड़, कदाचार एवं लूटपाट की प्रवृतियाँ बढ़ी है, दुर्भाग्यवश, भारत में ऐसे–ऐसे लोगों को शिक्षा मंत्री, शिक्षा अधिकारो एवं कुलपति तक बनाया जाता रहा है, जो किसी भी दृष्टि से पद के अनुरूप एवं उपयुक्त सिद्ध नहीं हुएं है।

ज्यादातर शासकीय व अशासकीय शैक्षिक संस्थओं में कान्ट्रेक्ट अथवा अस्थाई रूप में शिक्षकों के बढ़ते प्रचलन से छात्रों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा है। ऐसे छात्र अनैतिक व हिंसक गतिविधियों की ओर अग्रसर होते हैं। कार्यरत् अस्थाई शिक्षकों को भी पर्याप्त वेतन व सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जबकि विकसित देशें में शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखने पर ही बजट की अधिकत्तम धनराशि व्यय की जाती है।

बहुविनियामकीय प्रणाली

सैद्धान्तिक रूप से उच्च शिक्षा प्रणाली का विनियमन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जाता है। देश के सभी विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने, उनका संचालन करने, डिग्रियाँ प्रदान करने, शिक्षण संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान करनें, शिक्षकों को नियुक्त करनें आदि मामलों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा–निर्देशों का पालन किया जाता हैं। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के प्रारम्भ हाने तक विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को अनुदान भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदान किए जाते रहे है, लकिन इससे इतर विभिन्न प्रकार की तकनीकि एवं पेशेवर शिक्षा का विनियम विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत स्थापित निकायों द्वारा किया जाता है।

बहुविनियामकीय व्यवस्था ने भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली का हित कम अनहित अधिक किया है। विगत दों दशकों के दौरान लगभग प्रत्येक पाठ्यक्रम/पेशे के एसे सैकड़ों शिक्षण संस्थान स्थपित हो गए हैं, जिनमें गुणवत्ता के लगभग सभी मानकों–योग्यतम एवं अर्हताधारी शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारी, सुसज्जित प्रयोगशालाएँ, अत्याधुनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय, इण्टरनेट आधारित स्मार्ट क्लासेज, मूट कोर्ट कृषि फार्म, डेयरी फार्म, आदि की उपलब्धता का खुला उल्लंघन किया जाता है। राजकीय एवं अशासकीय अनुदान शिक्षण संस्थाओं (विश्वविद्यालय सहित) में शिक्षकों के हजारों पद रिक्त है। वहीं दूसरी ओर स्ववित्तपोषण शिक्षण संस्थाओं में निर्धारित योग्यताधारी शिक्षक ही नहीं हैं। ऐसी परिस्थितिओं में गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा का लक्ष्य किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता ह, यह एक विचारणीय प्रश्न है।

शिक्षकविहीन उच्च शिक्षा की संस्थाएँ

अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वे 2017–18 के अनुसार देश के स्नातक/परास्नातक महाविद्यालयों तथा

विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की संख्या 2015–16 में 15.2 लाख से घटकर 2016–17 में 13.7 लाख तथा 2017–18 में 12.9 लाख रह गयी है। इससे विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात 2015–16 में 20 से बढ़कर 2017–18 में 25 हो गया है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 35% पद रिक्त है। यदि शिक्षकों में तदर्थ शिक्षकों, अनुबन्ध पर रखे शिक्षकों अतिथि प्राध्यापाकों जोकि स्थायी शिक्षक नही है, कों भी शमिल कर लिया जाए तो भी 19% पद रिक्त चल रहे ह। देश के अति प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान माने जाने वाले भारतोय प्रौद्योगिकी संस्थानों में 2018 में शिक्षका के 8234 स्वीकृत पदों में से 2806 (34%) पद रिक्त है।

देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालायों/शिक्षण संस्थानों में अर्ह और नियमित शिक्षकों की कमी रहने के लिए निम्नलिखित कारण उतरदायी है।

- पद और प्रतिष्ठा के अनुरूप वेतन न होना।
- योग्यतम शिक्षकों को उनकी माँग के अनुरूप वेतन भुगतान करने में असमर्थता।
- इन्हीं संस्थानों में शिक्षित विद्यार्थियों को निजी क्षेत्र की देशी–विदेशी कम्पनियों में ऊँचे और आकर्षक पैकेज, जो शिक्षको के वेतन पैकेज से कई गुना अधिक होता है, पर प्लेसमेन्ट पा जाना।
- लम्बी चलने वाली और बेलोचदार चयन पक्रिया।
- आरक्षण प्रणाली से जुड़ी बाध्यताएँ।
- पिछले दरवाज से 'भाई–भतीजावाद' की अपारदर्शी व्यवस्था के अन्तर्गत अल्प अर्हताधारी एवं अयोग्य व्यक्तियों को तदर्थ शिक्षक, अनुबन्ध पर शिक्षक के रूप में नियुक्त कर लेना।
- देश एवं विदश के शिक्षकों/विशेषज्ञों को उपकृत करने के लिए उन्हें 'विजिटिंग फैकल्टी' के रूप में बुलाना।

निष्कर्ष

उपर्युक्त तर्कों के आधार पर निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि बदलते विश्व में उदारीकरण एवं निजीकरण अपनाने के पश्चात् बदलती परिस्थितियों में भारतीय शिक्षा को और अधिक ठोस व सार्थक बनाने हेतु गुणवतायुक्त शिक्षा मुहैया कराना जरूरी है, तभी हम अपने लाखा स्कूलों एवं कॉलेजों के नेटवर्क का वर्तमान शिक्षा के स्तर को उँचा उठाने और इसके समग्र लाभों से विकास की गति को तेज करके देश का सच्च अर्थो में विकसित बना सकते है। इसके लिए हमें अपने पाठयक्रमों को व्यावहारिक, राजगारपरक, नैतिक दूरदर्शितापूर्ण एवं राष्ट्रहितों पर आधारित बनाना होगा, तभी शिक्षा वयवस्था में गुणवत्ता व उपयोगिता सुनिश्चित होने पर हम आने वाली पीढ़ियां का भविष्य उज्जवल एवं देश की अपेक्षाओं के अनुरूप सँवार सकतें है। वास्तव में हमें यथाशीघ्र व्यावहारिक एवं राष्ट्रहितैषी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाकर उसका ईमानदारी से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा। तभी देश में शिक्षा के प्रसार के सापक्ष गुणवत्ता में आ रहे ह्रास को कम और निष्प्रभावी किया जा सकता है। शिक्षा नीति व कार्यक्रमों को बनाते समय इनमें सिर्फ शिक्षा जगत् के ही अनुभवी, सुयोग्य, चरित्रवान, उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाले एवं राष्ट्रहित हेतु समर्पित लोगो को ही शामील किया जाना चाहिए। भले ही ऐसे लोग सत्ताधारी दल के विरोधी राजनीतिक दलों या विचारधाराओं से ही सम्बन्धित व्यक्ति ही क्यों न हों? जैसा कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने 2006 में अपनी अनुशंसाओं में भी यह बात कही है।

संदर्भित लेख/रिपोर्ट–

1- J.C. Aggarwal, *"Landmarks in the History of Modern Indian Education"*. New Delhi.2007.
2- Secondary Education Commisson Report-1953
3- National Committee on Women's Education Report-1958
4- Kothari Commission Report-1964-66
5- Bhagwan Sahai Committee Report-1972
6. अखिल भारतीय उच्च षिक्षा सर्वे–2017–18

RRIJM 2015, All Rights Reserved